निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-55 वर्ष 2016-17 यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल** के माह **03/2014** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री राम सनेही, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं एस0 के0 डंग, पर्यवेक्षक** द्वारा दिनांक **09.03.2017 से 17.03.2017** तक **श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राम सनेही व एस0 के0 सिंह,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2014 से 24.02.2014 तक श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2010 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2014 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **नैनीताल**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(राशि रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	265.00	217.73	380.03	374.84	-	-
2014-15	-	-	273.30	262.20	438.62	436.54	-	-
2015-16	-	-	305.00	296.54	523.90	516.63	-	-
2016-17	-	-	515.00	405.38	641.16	625.52	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
			शून्य		

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'अ'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

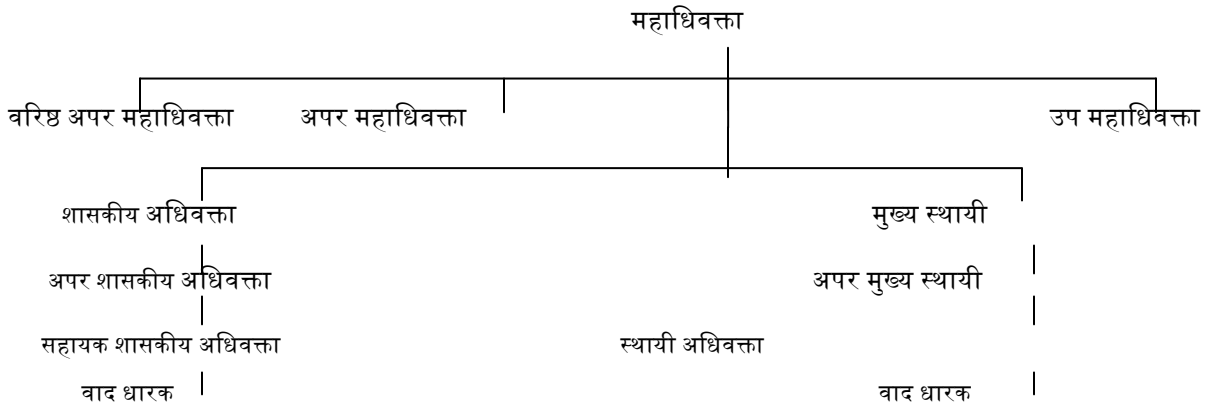

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि :** लेखा परीक्षा में **महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2015 से 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 14** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तरः 01 रु 2.14 करोड़ का दायित्व लम्बित रखना।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः01- रु 2.14 करोड़ का दायित्व लम्बित रखना।

वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष की सभी देयताओं (liabilities) का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि (वकीलो को मानदेय) व्यवसायिक मद-16 में उपलब्ध बजट वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के 3-4 माह पूर्व ही समाप्त हो जाता है। उक्त मद में वर्ष 2014-15 में बकाया भुगतान रु 1.09 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में बकाया भुगतान रु 1.50 करोड़, उसी वर्तमान वर्ष में न करते हुऐ आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट से भुगतान किऐ गऐ। अभी वर्तमान में विभाग पर वर्ष 2016-17 के भुगतान की बकाया धनराशि रु 2.14 करोड़ की है और विभाग के पास बजट उपलब्ध नही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किऐ जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि प्रत्येक वर्ष शासन से इस मद में बजट की मांग की जाती है, परन्तु बजट प्राप्त न होने की स्थिति में भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया वित्तीय नियमों के विपरीत है, अतः प्रस्तर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस आशय से लाया जाता है कि दायित्व की पूर्ति हेतु अधिक बजट की अधिक माँग हेतु शीघ्र प्रयास करके एवं देयताओ का भुगतान करके लेखा-परीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या
-----शून्य------	-----शून्य------	-----शून्य------

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-----शून्य------	-----शून्य------	-----शून्य------	-----शून्य------	-----शून्य------

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये : शून्य

2. **सतत् अनियमिततायें: शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री यू0 के0 उनियाल	महाधिवक्ता	03.04.2012	20.03.2015
2.	श्री वी0 वी एस0 नेगी	महाधिवक्ता	11.07.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र